

समलैंगिक ववाह कानूनों में धरुड और नैतकलता

हाल ही में सर्वोच्च नुयायालय ने समलैंगिक युगलों के ववाह करने या नागरकल संघ बनाने के अधकलर को मानुयता देने से इनकार कर दलल। नुयायालय ने कहा कल मौजूदा कानून ववाह करने के अधकलर या समलैंगिक युगलों के नागरकल संघ में प्रवेश करने के अधकलर को मानुयता नहीं देता है और एक ऐसे कानून का नरुमाण- जो इस वुववस्था को सकुषम बना सके, संसद पर नरुभर करता है।

फरल भी इस नरुणय को समान अधकलरों और वधकल संरकुषण के ढाँचे के भीतर शामिल करना महत्त्वपूर्ण है। प्रत्येक वुवकुतको, चाहे उसकी लैंगकल रुचल कुछ भी हो, ववाह करने और परिवार स्थापतल करने का अधकलर है। यह आवश्यक है कल समलैंगिक युगलों को अपने वपलरलत-लैंगकल समककुषों के समान ही वधकल अधकलर और संरकुषण प्राप्त हों। समलैंगिक ववाह को मानुयता देने से इनकार एक प्रकार के भेदभाव के समान है जो सीधे LBTQIA+ युगलों की गरमल और कुषमता को प्रभावतल करता है।

इसके वपलरलत, समलैंगकलता के वरुदुध वचलर रखने वाले वुवकुतयों का तरुक है कल यह प्रथा भारतीय संसुकृतल के अनुरूप नहीं है बलुकल यह पशुचमल वचलरधाराओं से प्रेरतल है। उनका तरुक है कल भले ही इस तरह के वचलरों को यूरोपीय और पशुचमल समाज में बढावा दलल जाता हो लेकनल भारत में इसे बढावा नहीं दलल जाना चाहलल और न ही इसकी अनुमतल नहीं दी जानी चाहलल। इस दृषुकलण के अनुसार, देश में सभी वैवाहकल रीत-रलवाज हमारे चरलकालकल मूलुयों और सामाजकल परंपराओं में गहराई से समाहतल हैं।

भारत में समलैंगिक ववाहों को मानुयता देते समय समान अधकलरों, वुवकुतगलत सुवतंतुरता और सांसुकृतकल संरकुषण के सदलधांतों को संतुलतल करने में शामिल नैतकल मुदुवों का परकलषण कीजलल। इन चुनौतलयों से नपलटने के ललल आप हैं?

कनल उपायों का सुझाव दे सकते हैं